

सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई

बनाम

मेसर्स क्लियरेंट (इंडिया) लिमिटेड, वर्ली

दिनांक 29 मार्च, 2007

(एस०एच०कपाडिया और बी०सुदर्शन रेडडी जे०जे०)

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 - तकनीकी सहयोग समझौता - निर्माता कंपनी एवं अन्य कंपनी के मध्य - समझौते के तहत निर्माता द्वारा कच्चे माल का आयात - कच्चे माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य पर तकनीकी ज्ञान शुल्क लगने वाला राजस्व - निर्णायक प्राधिकरण ने यह पारित किया कि कच्चे माल के मूल्यांकन के लिये शुल्क को शामिल नहीं किया जायेगा, क्योंकि कंपनियां संबंधित नहीं थीं। अपीलीय प्राधिकरण ने इसे शामिल करने योग्य माना - अधिकरण ने निर्माता द्वारा प्रवेश को देखते हुये, यह अभिनिर्धारित करने के बावजूद की कंपनियां संबंधित थीं, कच्चे माल की लागत के लिये शुल्क को शामिल नहीं किया। अपील, अभिनिर्धारित: निर्माता द्वारा यह स्वीकार किये जाने के मददेनजर की कंपनियां संबंधित थीं, इस मामले पर नये सिरे से

विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पार्टियों के साथ संबंधों के मददेनजर कच्चे माल के आयात के लिये तकनीकी जानकारी शुल्क का भुगतान एक शर्त थी - इसलिये मामला निर्णायक प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 1988 - नियम 4(2), (9), 4(2), (बी), 4(3), (बी) और 8.

रेस्पॉन्डेंट - कंपनी चमड़े के रासायनिक उत्पादों की निर्माता थी। एक तकनीकी सहयोग समझौते के तहत, इसने कच्चे माल का एक कंपनी से आयात किया। विभाग-अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 4(2) (ए) और (बी) के तहत सामग्री के सुलभ मूल्य के लिये तकनीकी जानकारी शुल्क का भुगतान इस आधार पर करने के लिये कहा कि दोनों कंपनियों संबंधित थीं और शुल्क का भुगतान गुणवत्ता वाले कच्चे माल के आयात की शर्त थी। निर्णायक प्राधिकरण ने माना की देय शुल्क कच्चे माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल नहीं था, क्योंकि दोनों कंपनियों संबंधित नहीं थीं। अपीलीय प्राधिकरण ने माना कि तकनीकी जानकारी शुल्क को कच्चे माल के मूल्य में जोड़ने की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों कंपनियों संबंधित थीं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण ने उत्तरदाता की

स्वीकारोक्त पर अभिनिर्धारित किया कि दोनों कंपनियां संबंधित थी। हालांकि, अधिकरण ने यह भी माना कि विभाग कच्चे माल की लागत में तकनीकी जानकारी शुल्क जोड़ने में सही नहीं था, क्योंकि यह मुददा उसके सामने नहीं था।

अपील को अनुमति देते हुये, न्यायालय अभिनिर्धारित किया:

01- अधिकरण का दृष्टिकोण सही नहीं था। प्रथम, हस्तगत मामले में निर्णायक प्राधिकरण का पुरा निष्कर्ष इस आधार पर आधारित था कि दोनों कंपनियां संबंधित नहीं हैं। वह आधार तब समाप्त हो गया, जब अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष, निर्धारिती ने निष्पक्ष रूप से कहा कि दोनों कंपनियां संबंधित थीं। दूसरा, एक बार जब उत्तरदाताओं की ओर से यह स्वीकार कर लिया जाता है कि दोनों कंपनियां संबंधित हैं, तो वह मामला एक अलग रंग लेता है। इस दृष्टिकोण से मामले पर नये सिरे से पुनःविचार करने की आवश्यकता है। इसीलिये, इस सवाल की जांच की जानी चाहिये कि क्या डीएम 5,00,000 का उक्त भुगतान गुणवत्ता वाले कच्चे माल के आयात के लिये शर्त थी, विशेष रूप से पक्षों के बीच संबंधों के आलोक में। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल इसलिये कि दोनों पक्ष एक-दूसरे से संबंधित हैं, प्रति मूल्यांकन कम नहीं होगा। यह

प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। (पैरा 9 और 11)(518-एफ-जी: 519-ए-ई)

02- मामले को निर्णायक प्राधिकारी को भेज दिया गया, जो सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 1988 के अनुसार मामले का नये सिरे से निर्णय करेगा। (पैरा 12)(519-एफ)

सिविल अपील ट क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नंबर 509 ऑफ 2002

अपील नंबर सी/401/98-बॉम में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्वर्ण(नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, मुंबई के अंतिम आदेश संख्या सीजेडबी/4180/डब्ल्यूजेडबी/2000 दिनांकित 27.11.2000

मथाई एम पैकेडे, नवीन प्रकाश और बी कृष्ण प्रकाश - याचिकाकर्ता की ओर से।

जौसेफ वैलापल्ली, संजय आर हेगडे, रागवेशसिंह और कृष्ण कुमार दर्भा - उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया था:

कपाडिया, जे०

01 - यह एक दीवानी अपील है, जो कि विभाग द्वारा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्वर्ण(नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण (सीईजीएटी), मुंबई द्वारा अपील संख्या C401/98-Bom में पारित आदेश दिनांकित नवम्बर 27, 2000 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 130 ई सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में दायर किया गया है।

02 - उत्तरदाता संख्या 01 ने मूल्यांकन वर्ष 1977-78 के दौरान मैसर्स सैंडोज क्विन (मैसर्स सैंडोज (भारत) की सहायक कंपनी) से कच्चे माल का आयात किया। यह उक्त दोनों कंपनियों के बीच 02 अप्रैल, 1990 के तकनीकी सहयोग समझौते के तहत था। इस तकनीकी सहयोग समझौते में भारत में उत्तरदाताओं के विनिर्माण के संयंत्र के उन्नयन के लिये तकनीकी जानकारी और तकनीकी सहायता के हस्तांतरण के साथ-साथ पूंजीगत वस्तुओं कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं आदि के आयात के लिये प्रावधान किया गया है। उत्तरदाता चमड़े के रासायनिक उत्पादों का निर्माता है। उत्तरदाता ने तीन अनुबंध किये, जिनका विवरण पेपर बुक के पृष्ठ 36 पर दिया गया है। इन समझौतों में एक को तकनीकी सहयोग समझौता कहा जाता है तथा अन्य दो समझौतें बीजों के आयात से संबंधित हैं। तकनीकी सहयोग समझौतें के अनुसार

उत्तरदाता को चमड़े के रासायनिक उत्पादों के निर्माण के लिये कच्चे माल का आयात करना था। विभाग ने उत्तरदाता से चार्टर एकाउंटेंट के चालान और प्रमाण पत्र जमा कराने का आह्वान किया। उन्होंने यह तर्क देते हुये उक्त विवरण दिये कि सैंडोज क्विन के साथ तकनीकी सहयोग समझौता भारत में रासायनिक संयंत्र के उन्नयन के लिये था और इस उद्देश्य के लिये उन्हें तकनीकी जानकारी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि आयात सिद्धांत के आधार पर था। जिसका एकमात्र विचार कीमत थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कच्चे माल के आयात का सहयोग समझौते से कोई संबंध नहीं था और कच्चे माल का आयात सहयोग समझौते की शर्त नहीं थी। इन परिस्थितियों में यह आग्रह किया गया था कि विभाग को नियम 08 या सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत बनाये किसी अन्य नियम के तहत कच्चे माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य पर तकनीकी ज्ञान शुल्क नहीं लगाना चाहिये। इस स्तर पर यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान मामले में उत्तरदाता ने कारण बताओ नोटिस का आग्रह नहीं किया।

03 - निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित

15.12.1994 में यह पारित किया गया कि उत्तरदाता कंपनी और मैसर्स सैंडोज क्विन के बीच हितों की कोई पारस्परिकता नहीं थी और देय शुल्क कच्चे माल के सुलभ मूल्य में शामिल नहीं थे।

04 - निर्णायक प्राधिकरण के निर्णय से व्यथित होकर विभाग ने मामले को सीमा शुल्क कलेक्टर (ए) के पास अपील में ले गये। विभाग की आरे से आग्रह किया गया कि दोनों कंपनियां संबंधित थीं और फीस पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल थीं।

05 - सीमा शुल्क कलेक्टर (ए) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.12.1997 में यह पारित किया गया कि तकनीकी जानकारी शुल्क को कच्चे माल के मूल्य पर जोड़ने की आवश्यकता थी। आगे यह भी पारित किया गया कि हालांकि दोनों कंपनियां संबंधित थीं, लेकिन उनके संबंध ने पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित नहीं किया। आगे यह माना गया कि चूंकि उक्त दोनों ही कंपनियां संबंधित थीं, इसलिये कच्चे माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना के मामले में नियम 4(2)(ए) और (बी) के तहत मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

06 - सीमा शुल्क कलेक्टर (ए) के निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी ने सीईजीएटी में अपील की। आक्षेपित निर्णय में यह माना गया कि दोनों कंपनियां एक-दूसरे से संबंधित हैं। अधिकरण ने उत्तरदाताओं के वकील द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को दर्ज किया कि दोनों कंपनियां एक-दूसरे से संबंधित हैं। अधिकरण ने पाया कि अपीलीय प्राधिकारी ने आयातित कच्चे माल के मूल्यांकन के साथ पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यांकन को भ्रमित कर दिया था। आगे यह माना गया कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एकमात्र मुद्दा पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यांकन के संबंध में था और इसीलिये उसने कच्चे माल की लागत में डीएम 5,00,000/- (अक्षरे पांच लाख रुपये) जोड़ने के बड़े सवाल पर जाने की गलती की थी। अधिकरण के अनुसार अपील प्राधिकारी के समक्ष यह कभी कोई मुद्दा नहीं था, ऐसी परिस्थितियों में अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि उक्त राशि को कच्चे माल की लागत में नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

07 - इस स्तर पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि विभाग इस स्तर पर सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 1988 के नियम 4(2) (ए) और (बी) को इस आधार पर लागू करें की उक्त दोनों कंपनियां संबंधित है और शुल्क का भुगतान गुणवत्ता वाले कच्चे माल

आयात की शर्त थी।

08 - हस्तगत सिविल अपील में निर्णय के लिये जो एकमात्र प्रश्न उत्पन्न हुआ है, क्या अभिकरण मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि कच्चे माल की लागत में डीएम 5,00,000/- पांच लाख रुपये की बढ़ोतरी कभी भी निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष नहीं थी और इसीलिये इस हद तक इसका निष्कर्ष अपील से परे था।

09 - हम, निम्नलिखित कारणों से अभिकरण के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। प्रथम वर्तमान मामले में निर्णायक प्राधिकरण इस आधार पर आगे बढ़ा की उपरोक्त दोनों कंपनियां एक-दूसरे से संबंधित नहीं था। निर्णायक प्राधिकरण का संपूर्ण निष्कर्ष इस आधार पर है कि दोनों कंपनियां संबंधित नहीं हैं। वह आधार तब समाप्त हो गया, जब अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष, निर्धारिती के वकील ने निष्कर्ष रूप से कहा कि उत्तरदाता कंपनी और मैसर्स सैंडोज क्विन संबंधित थे। दूसरा वर्तमान मामले में उत्तरदाता द्वारा तीन अलग-अलग कंपनियों के साथ तीन समझौते किये थे, जिनमें से एक मैसर्स सैंडोज क्विन था। एक बार जब उत्तरदाता की ओर से यह मान लिया जाता है कि दोनों कंपनियां संबंधित हैं, तो मामला

एक अलग रंग ले लेता है, इस आलेक से मामले में नये सिरे से विचार करने की जरूरत है। पहले दो समझौते जो कि आयात से संबंधित हैं, तीसरा समझौता तकनीकी सहयोग से संबंधित है। तीसरा समझौता चमड़े के रासायनिक उत्पादों के निर्माण के लिये गुणवत्ता वाले कच्चे माल के आयात का प्रावधान करता है, इसलिये सवाल उठता है कि क्या डीएम 5,00,000/- (अक्षरे पांच लाख रुपये) का उक्त भुगतान गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की आयात की शर्त थी। विशेष रूप से पार्टियों के बीच संबंधों के प्रकाश में इसकी जांच की जानी चाहिये।

10 - भारत संघ बनाम महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड (1995) 76 ईएलटी 481 के मामले में यह सवाल उठा कि विभाग को सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 के तहत मूल्यांकन के संदर्भ में खरीदार एवं विक्रेताओं के बीच समझौते की व्याख्या कैसे करनी चाहिये। यह माना गया है कि सामान्य तौर पर विभाग को समझौते की स्पष्ट अवधि के आधार पर आगे बढ़ना चाहिये। हालांकि, यह राजस्व पर निर्भर था कि प्रासंगिक परिस्थितियों की जांच करके यह आरोप लगाया जाये और साबित किया जाये कि प्रत्यक्ष वास्तविक नहीं था। उक्त मामले में भी विभाग को भारतीय

निर्माताओं और विदेशी सहयोगी के बीच तकनीकी जानकारी समझौते पर विचार करना आवश्यक था। उक्त मामले में विभाग ने तर्क दिया कि तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण और ईजनों के आयात के लिये भुगतान के बीच साठ-गाठ थी। उक्त मामले में निर्धारिती से अदालत के समक्ष सफल हुआ और निर्धारिती की सफलता का एक मुख्य कारण यह था कि अदालत ने पाया कि महिन्द्रा एवं महिन्द्रा विदेशी सहयोग से संबंधित नहीं है।

11 - वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है, यह उत्तरदाता ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष स्वीकार किया है कि दोनों कंपनियां संबंधित हैं। हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि केवल इसीलिये की दोनों पक्ष एक-दूसरे से संबंधित है। इसका अर्थ अवमूल्यन नहीं होगा, यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

12 - उपरोक्त कारणों से हमने अधिकरण के आक्षेपित फैसले को दरकिनार कर दिया है और मामले को निर्णायक प्राधिकरण के पास भेज दिया है, जो सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 के अनुसार मामले का नये सिरे से निर्णय करेगा। निर्णायक प्राधिकरण न केवल स्पष्ट नियम के अनुसार काम करेगा, समझौते करेगा,

बल्कि सहयोगी तथ्यों की जांच भी करेगा और कानून के अनुसार मामले पर निर्णय लेगा। इस मामले में नियम 4(2)(ए) अथवा नियम 4(2)(बी) अथवा नियम 4(3)(बी) लागू होगा या नहीं, इस पर हम कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। यह सब इस मामले में स्थापित किये जाने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगा और निर्णायक प्राधिकरण को संबंधित नियमों की प्रयोज्यता के बारे में निर्णय लेना होगा। इस मामले में हम उस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

13 - तदनुसार, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील नहीं की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शहनाज खान लौहार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।